

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

--: आदेश :-

संख्या-17/विविध-03-06/2018, सा.प्र. 2291/ पटना-15, दिनांक-16.2.18

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान एवं शर्तों के तहत तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित सेवानिवृत्त उप सचिवों एवं अवर सचिवों को निम्नांकित शर्तों के साथ संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विभाग/कार्यालय में पदाधिकारियों के रिक्त पद पर नियोजित किया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	विभाग/कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री सुदेश कुमार लाल, उप सचिव, वित्त विभाग	03.02.1958 28.02.2018	वित्त विभाग	दिनांक 01.03.2018 से रिक्त पद के विरुद्ध।
2.	श्री शिव नारायण झा, उप सचिव, वित्त विभाग	13.01.1958 31.01.2018	वित्त विभाग	
3.	श्री रबीन्द्र नाथ उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग	04.01.1958 31.01.2018	स्वास्थ्य विभाग	
4.	श्री मो० सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	02.01.1958 31.01.2018	सामान्य प्रशासन विभाग	
5.	श्री कामदेव प्रसाद, अवर सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना	05.01.1958 31.01.2018	राजस्व पर्षद, बिहार, पटना	
6.	श्री सूर्य किशोर प्रसाद, अवर सचिव, वित्त विभाग	21.01.1958 31.01.2018	वित्त विभाग	
7.	श्री नवीन कुमार जमुआर, अवर सचिव, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना	15.12.1955 31.12.2015	बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना	

(क) यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी। प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया ऐसा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

(ख) संकल्प की कंडिका-3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।

(ग) संकल्प की कंडिका-3(5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(घ) संकल्प की कंडिका-3(6)(i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका-3(6)(ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा

नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में **व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ** ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ड.) संकल्प की कंडिका-4 के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।


(च) संकल्प की कंडिका-5 के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भौति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक-17/विविध-03-06/2018, सा.प्र. 2291 / पटना-15, दिनांक:- 16.2.18

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/विविध-03-06/2018, सा.प्र. 2291 / पटना-15, दिनांक:- 16.2.18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, राजस्व पर्षद/अवर सचिव, बिहार भूमि न्यायाधिकरण/संयुक्त सचिव (स्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15 एवं 16, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित नियोजित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/विविध-03-06/2018, सा.प्र. 2291 / पटना-15, दिनांक:- 16.2.18

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।